न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 26 /2014

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 लालाराम आयु 45 वर्ष करीब पुत्र स्व0 सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम तिडोकी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 छोटी देवी पत्नी सुखाराम कस्वा कथित पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम तिडोकी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

2 पटवारी हल्का ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

3 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

4 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भू–धारक राजस्थान सरकार

5 तीजू देवी पत्नी रामकरण पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र अपीलांट लालाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

उपस्थित

1. श्री वसीम खां अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः–19.12.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा वाद संख्या 179/09 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09. 2018 को अपील खारिज कर दी गई जिसके विरूद्व यह पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 11.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.08 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 456 रकबा 9.43 हैक्टेयर वाके ग्राम तिडोकी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ के सम्बंध में इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त आराजीयात के 2/3 हिस्से का एकाकी काश्तकार वादीया का दादा स्व. गंगाराम रहा था, उनकी मृत्यु के बाद उनकी वैध उत्तराधिकारी काश्तकार चली आ रही है। वादीया भोलीभाली पर्दाशीन महिला है। प्रतिवादी सं. 1 चालाक किस्म की है, उसने गंगाराम की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण संख्या 143 प्रतिवादीया संख्या 1 ने अकेले अपने नाम करवा लिया,

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

जिसकी वादीया को कोई जानकारी नही है ना ही नामान्तरकरण तस्दीक करने वाले प्राधिकारी ने वादीया को सूचना एवं सुनवाई को कोई अवसर दिया। उक्त नामान्तरकरण विधि एवं कानून विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। वादीया के पिता स्व. सुरजाराम की मृत्यु वादीया के दादा स्व0 गंगाराम के जीवनकाल मे ही हो गयी थी एंव सुरजाराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 उमली शोभाराम के नाते चली गई। इस कारण स्व0 सुरजाराम के हक हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही रहा। वादीया स्व. सुरजाराम की एक मात्र उत्तराधिकारीणी होने के कारण वादीया उनके 1/6 पैत्रिक हक हिस्से की हक अधिकारीणी हुई। इसलिये वादीया को वादग्रस्त आराजी के 1/6 हक हिस्से की खातेदारी काश्तकार उदघोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादीनी द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत कर एक पक्षीय रूप से साजिसी डिक्री प्राप्त की गई है। अपीलांट काबिज काश्तकार को आवश्यक पक्षकार होते हुये भी पक्षकार नही बनाकर विचाराधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम में चल रही थी उसके पश्चात सीधे ही बहस सुनकर उसी दिन वातवादी डिक्री कर दिया गया। जो विधि विरूद्व है इस न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया गया है। विचारण न्यायालय में कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना निर्णय पारित किया गया है अत आवेदन स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है विचारण न्यायालय में छोटी देवी ने सुरजाराम की जायन्दा पुत्री होने के आधार पर, सुरजा की वारिस होने के आधार पर हक हिस्से की मांग की है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे है विचारण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका का अवलोकन किया गया विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 09.03.2011 को वास्ते पेश होने कायम मुकाम नियत थी आगामी तिथि 02.05.2011 को वाद वादी डिक्री कर दिया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रिया की पालना नही की गई है अपील के निर्णय के समय यह तथ्य देखा नही गया था अब न्यायहित में आवेदन पुनरावलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2018 अपास्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रियानुसार सुनवाई कर पुन गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.01.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर